जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./17/डी— 38 दिनांकः— 17-01-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **130वीं बैठक दिनांकः 12.01.2017 को अपराह्व 04.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		130:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 129वीं बैठक दिनांक 02.12.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 129वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 129वीं बैठक दिनांक 02.12.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 129 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान कुछ प्रकरणों में लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर भी पालना नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया व भविष्य में पालना समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिये। निम्न प्रकरणों की समीक्षा कर आयुक्त महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान कियेः— 1. <u>प्रस्ताव संख्या 122:2</u>:— मैसर्स उमा एन्टरप्राईजेज प्रा. लि. के प्रकरण में दिनांक 08.02.16 को एलपीसी की बैठक में लिये गये निर्णय की पालना 11 माह में भी न होने पर उपायुक्त से कारण पूछा गया। उपायुक्त जोन—4 ने टाउनशिप पॉलिसी 2010 के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण मांग पत्र जारी होने में विलम्ब होना बताया। अब स्थिति स्पष्ट हो गई है, शीघ्र ही मांग पत्र जारी कर दिया जावेगा। 2. <u>प्रस्ताव संख्या 125:10</u>:—जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इंजीनियर्स कॉलोनी के एक पार्क क्षेत्रफल 2930.20 वर्गमीटर भूमि में से 1200 वर्गमीटर भूमि (पार्क की भूमि में से आवंटन हेतु कॉलोनीवासियों/विकास समिति की सहमति की शर्त पर) आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन—पीआरएन (उत्तर) ने बताया कि कॉलोनीवासियों द्वारा पार्क की भूमि में आवंटन हेतु एतराज किया जा रहा है, भूमि का कब्जा देना अंसभव है। अतः आयुक्त महोदय ने अन्य वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। 3. <u>प्रस्ताव संख्या 125:18</u>:—पाकिस्तान से हिन्दू विस्थापित 5 परिवारों को गोविन्दपुरा आवासीय योजना में आवंटन का निर्णय लिया गया था। इनमें से 4 को भूखण्ड आवंटन कर दिया गया है। उपायुक्त जोन—8 ने बताया कि एक भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण हटाकर आवंटन पत्र जारी कर कब्जा देने की कार्यवाही की जावे। 4. <u>प्रस्ताव संख्या 126:11</u>:—श्रीमती दीपा सैनी को रिंग रोड परियोजना में भूखण्ड संख्या 10/ओएई/384 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त, जोन—10 ने बताया कि विनिमय

प्रति0 आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				हेतु स्टॉम्प ड्यूटी की 14700/– रूपये की राशि जविप्रा द्वारा भुगतान करने की सक्षम स्वीकृति हो जाने से 14700/– रूपये का डी.डी. भिजवा दिया गया है। विनिमय विलेख जारी होने के पश्चात् आवेदिका को पट्टा जारी कर दिया जावेगा। 5. <u>प्रस्ताव संख्या 126:13(2)</u>:–जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भांकरोटा में ई.एस.आर. हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–12 ने बताया कि उक्त क्षेत्र नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि इस तथ्य की जांच उपायुक्त स्तर पर की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। 6. <u>प्रस्ताव संख्या 128:3</u>:–ग्राम पंचायत अखैपुरा को ग्राम पंचायत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि व अटल सेवा केन्द्र हेतु 250 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–2 ने बताया कि प्रकरण में एलपीसी के निर्णयानुसार भूमि की प्लानिंग हेतु पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में रखे जाने हेतु प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। 7. <u>प्रस्ताव संख्या 128:7</u>:–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खटवाडा को आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये 1874.22 वर्गमीटर जविप्रा के कब्जे में लिये जाने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोंन–11 ने बताया कि ई.डी.एम. मशीन से सीमाज्ञान कराया जाकर स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है। 8. <u>प्रस्ताव संख्या 128:18(1), 128:18(2) व 128:18(3)</u>:–श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि., मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा.लि. को बढा हुआ क्षेत्रफल आवंटन के संबंध में उपायुक्त को विस्तृत जांच कर पत्रावली पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उपायुक्त जोन–4 ने आयुक्त महोदय को मानचित्र के साथ वस्तुस्थिति से अवगत कराया व प्रकरण में जांच कर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
2.	1	130:2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सी–स्कीम में पेयजल योजना के सुधार हेतु 636.89 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 116वीं बैठक दिनांक 25.05.15 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सी–स्कीम में पेयजल योजना के सुधार हेतु जमनालाल बजाज मार्ग एवं भूखण्ड सं. जे–21 से जे–24 के पीछे स्थित नाले के साथ लगती हुई 300 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उक्त भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से दिनांक 16.06.16 को प्राप्त हो चुकी है। विभाग द्वारा 300 वर्गमीटर भूमि कम बताई जाकर मौके पर उपलब्ध 900 वर्गमीटर आवंटन की मांग की है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र–द्वितीय के पत्र दिनांक 25.11.16 द्वारा संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार मौके पर उपलब्ध 900 वर्गमीटर भूमि को पर्याप्त बताया जाकर आवंटन करने का अनुरोध किया है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त आवंटित भूमि के पीछे उपलब्ध लगभग 636.89 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त की टिप्पणी के अनुसार उक्त भूमि माननीय न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002

आयुक्त (एल.पी. ...)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपायुक्त के प्रस्तावानुसार सी–स्कीम में मौके पर उपलब्ध 636.89 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	5	130:3	मैसर्स अर्जुन कॉलोनाईजर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका के संबंध में नीलामी द्वारा विक्रय की गई 1548 वर्गमीटर वाणिज्यिक भूमि के विनिमय में ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 180 रकबा 1.87 हैक्टेयर किस्म चरागाह रिक्त भूमि में से समतुल्य भूमि आवंटित किये जाने बाबत।	मैसर्स अर्जुन कॉलोनाईजर लि. के स्वामित्व की 90बी शुदा भूमि खसरा नं. 395, 396 ग्राम देवरी में से 1548 वर्गमीटर भूमि की नीलामी मैसर्स एडवेन्चर एन्टरटेनमेंट प्रा.लि. को हो जाने से उनके द्वारा राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.10.12 में वैकल्पिक भूखण्ड जिसका मूल्य निर्धारण उक्त भूखण्ड की डी.एल.सी. के आधार पर निर्धारित किया जाकर मैसर्स अर्जुन कॉलोनाईजर को आवंटन करने के निर्देश दिये है। उपायुक्त जोन–5 द्वारा मैसर्स अर्जुन कॉलोनाईजर लि. की 1548 वर्गमीटर भूमि की कीमत वर्तमान में वाणिज्यिक डी.एल.सी. दर 1,04,490/– रूपये प्रति वर्गमीटर से 16,17,50,520/– रूपये आंकी जाकर ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के खसरा नं. 180 रकबा 1.87 हैक्टेयर की कृषि भूमि की वाणिज्यिक डी.एल.सी. दर 10,700/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से दिये जाने वाला क्षेत्रफल 15116.87 वर्गमीटर के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त मौका देखकर यह निर्धारित करे कि मैसर्स अर्जुन कॉलोनाईजर लि. की भूमि पर कौनसी (मुख्य सड़क की Exterior अथवा आन्तरिक सड़क की Interior) वाणिज्यिक डी.एल.सी. दर प्रभावी होगी। इसी प्रकार विनिमय में दी जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का भी मौका देखकर उपायुक्त जोन–11 द्वारा जांच की जावे। इस प्रकार विनिमय की जाने वाली भूमि की समतुल्यता की जांच की जाकर दोनों उपायुक्तों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त एजेण्डा नोट आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
4.	9	130:4	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी तहसील सांगानेर को भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी तहसील सांगानेर को जविप्रा की संस्थानिक योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड क्षेत्रफल 3299.57 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 10.08.16 में उक्त भूखण्ड का एण्ड यूज व्यावसायिक से संस्थानिक परिवर्तन किया गया है। समिति द्वारा व्यावसायिक भूखण्ड को विद्यालय हेतु आवंटन किया जाना उपयुक्त नहीं माना। बैठक में उपस्थित तहसीलदार जोन–9 ने बताया कि क्षेत्र में कोई संस्थानिक भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अविकसित भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
5.	12	130:5	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व. श्री हरसहाय बैरवा, श्री सुशील कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री हरसहाय बैरवा व जितेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री हरसहाय नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कान्ता देवी को जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार के भूखण्ड संख्या डी–198 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर में मौके पर बढ़े हुये क्षेत्रफल 30	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व. श्री हरसहाय बैरवा, श्री सुशील कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री हरसहाय बैरवा व जितेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री हरसहाय नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कान्ता देवी को जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार के भूखण्ड संख्या डी–198 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड खसरा सीमा पर होने के कारण भूखण्ड का क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर अधिक होकर कुल 120 वर्गमीटर हो गया है। अतः उपायुक्त द्वारा मौके पर बढ़े हुये क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। यदि समान माप का वैकल्पिक भूखण्ड न हो तो बढ़े हुये क्षेत्रफल का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किया

आयुक्त (एल...)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत।	जा सकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड खसरा सीमा पर होने के कारण बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	12	130:6	अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम हाथोज तहसील जयपुर के खसरा नं. 556 किस्म श्मशान रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम हाथोज तहसील जयपुर के खसरा नं. 556 किस्म श्मशान रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि Elevated Service Reservoir हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सरपंच, ग्राम पंचायत हाथोज द्वारा ग्राम में पेयजल की गंभीर समस्या को मध्यनजर रखते हुये उक्त खसरा नं. में जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु अनापत्ति पत्र जारी किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम हाथोज के खसरा नं. 556 में से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	13	130:7	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री उत्तम सिंह करनावट को जविप्रा की राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा द्वारा शिक्षक श्री उत्तम सिंह करनावट को वर्ष 1987 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के फलस्वरूप राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधान्तर्गत राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड संख्या बी–136, बी–137, बी–169, बी–170, बी–172, बी–179 प्रत्येक क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर में से एक नॉन कॉनर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। श्री उत्तम सिंह करनावट लकवा रोग से पीडित है। अतः शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व अन्य कार्यवाही हेतु श्रीमती मदन कुमारी करनावट को अधिकृत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि श्री उत्तम सिंह करनावट द्वारा श्रीमती मदन कुमारी करनावट के नाम पंजीबद्ध मुख्त्यारनामा प्रस्तुत करने पर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण नियम) 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत राजभवन आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड संख्या बी–136, बी–137, बी–169, बी–170, बी–172, बी–179 प्रत्येक क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर में से लॉटरी द्वारा एक नॉन कॉनर भूखण्ड योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन कर दिया जावे।
8.	7	130:8	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना वृत्त (शहर) राजस्थान, जयपुर को जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना आम्रपाली नगर (नियर सेवन हेवन लालरपुरा रोड) में उपलब्ध सुविधा क्षेत्र की 845.07 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना वृत्त (शहर) राजस्थान, जयपुर को जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना आम्रपाली नगर (नियर सेवन हेवन लालरपुरा रोड) में उपलब्ध सुविधा क्षेत्र की 845.07 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आम्रपाली नगर के सुविधा क्षेत्र की 845.07 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	10	130:9	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को विनायक विहार कॉलोनी, गोनेर रोड, लूनियावास बस स्टेण्ड के	उपायुक्त जोन–10 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को हसनपुरा–ए गृ.नि.स.स. की जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना विनायक विहार कॉलोनी, गोनेर रोड, लूनियावास बस स्टेण्ड के पास के सुविधा क्षेत्र में आरक्षित

			पास में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	2500 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, हैडवर्क्स आदि के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक में जन स्वास्थ्य अभि. विभाग के सहायक अभियंता ने उपस्थित होकर बताया कि उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, हैड वर्क्स व ऑफिस आदि संरचनाओं हेतु न्यूनतम 2500 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर जन स्वास्थ्य अभि. विभाग को विनायक विहार कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र की 2500 वर्गमीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
10.	10	130:10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को पालडी मीणा योजना के एम ब्लाक में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को पालडी मीणा योजना के एम ब्लाक के सुविधा क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पालडी मीणा के एम–ब्लाक के सुविधा क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
11.	10	130:11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को पालडी मीणा योजना के सी ब्लाक में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को पालडी मीणा योजना के सी ब्लाक के सुविधा क्षेत्र की 2500 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, पम्पिंग स्टेशन, हैडवर्क्स आदि के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि में जविप्रा की पीएचई शाखा के द्वारा पूर्व में पानी की टंकी का निर्माण किया गया है तथा पास में एक मंदिर है, शेष भूमि रिक्त है। उक्त भूमि हेतु अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. वि. द्वारा मौका देखकर मौखिक सहमति दी है। बैठक में जन स्वास्थ्य अभि. विभाग के सहायक अभियंता ने उपस्थित होकर बताया कि उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, हैड वर्क्स व ऑफिस आदि संरचनाओं हेतु न्यूनतम 2500 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर जन स्वास्थ्य अभि. विभाग को पालडी मीणा के सी ब्लाक के सुविधा क्षेत्र की 2500 वर्गमीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
12.	12	130:12	कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जिला जयपुर को ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 480 किस्म चरागाह रकबा 43.02 हैक्टेयर में से 22 हैक्टेयर भूमि कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन को मंत्रिमण्डल की आज्ञा से कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा की 1,46,880 वर्गमीटर भूमि हस्तांतरित की गई है। इस भूमि के बदले श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को इतनी ही भूमि आवंटन की जानी है। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 19.10.16 में दिये गये निर्देशानुसार कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा की 14.69 हैक्टेयर भूमि के बदले कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 480 की 22 हैक्टेयर भूमि आवंटन की जावे। साथ ही कृषि विभाग द्वारा कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा की ग्राम झालाना चौड़ तहसील सांगानेर के खसरा नं. 195 की वुडलैण्ड पार्क से लगती हुई 3000 वर्गमीटर भूमि जेडीए को आवंटन की जावे। उक्त निर्णय की पालना 2 माह में की जानी है। अतः उपायुक्त जोन–12 द्वारा कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जिला जयपुर को ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 480 किस्म

				चरागाह रकबा 43.02 हैक्टेयर में से 22 हैक्टेयर भूमि कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। कृषि विभाग द्वारा ग्राम झालाना चौड़ तहसील सांगानेर के खसरा नं. 195 की वुडलैण्ड पार्क से लगती हुई 3000 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को अभी तक सुपुर्द नहीं की गई है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा की 14.69 हैक्टेयर भूमि की एवज में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 480 में से 22 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण को कृषि विभाग से 3000 वर्गमीटर भूमि प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही कृषि विश्वविद्यालय को उक्त 22 हैक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र जारी किया जावे।
13.	12	130:13	चैयरमेन, एम.डी., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 452 में से 850 वर्गमीटर, खसरा नं. 451 में से 250 वर्गमीटर एवं खसरा नं. 417 में से 900 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन के लिये आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 125वीं बैठक में जेवीवीएनएल को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 452 में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उक्त भूमि का प्लानिंग करने पर 100–100 फीट सडक का कॉर्नर भूखण्ड का क्षेत्रफल काफी कम रह जाता है। अतः उपायुक्त द्वारा चैयरमेन, एम.डी., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 452 में से 850 वर्गमीटर, खसरा नं. 451 में से 250 वर्गमीटर एवं खसरा नं. 417 में से 900 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन के लिये आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संलग्न प्रस्तावित पार्ट प्लान के अनुसार सृजित होने वाले 2000 वर्गमीटर के भूखण्ड का आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यदि उक्त भूमि विकसित श्रेणी की है, तो वर्तमान प्रभावी संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर अथवा यदि भूमि अविकसित श्रेणी की है, तो कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर मांग पत्र जारी किया जावे।
14.	12	130:14	अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया।
15.	14	130:15	अधिशाषी अभियंता दूदू–टोंक–उनियारा परियोजना खण्ड तृतीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निवाई को बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत ग्राम भवानीपुरा तहसील चाकसू में पानी की टंकी निर्माण हेतु ग्राम भवानीपुरा तह. चाकसू के खसरा नं. 176 रकबा 5.64 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 0.09 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता दूदू–टोंक–उनियारा परियोजना खण्ड तृतीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निवाई को बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत ग्राम भवानीपुरा तहसील चाकसू में पानी की टंकी निर्माण हेतु ग्राम भवानीपुरा तह. चाकसू के खसरा नं. 176 रकबा 5.64 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 0.09 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम भवानीपुरा के खसरा नं. 176 में से 900 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
16.	14	130:16	प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौसला,	उपायुक्त जोन–14 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौसला, पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर को

आयुक्त (एल...)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर को विद्यालय भवन व खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	ग्राम चौसला तहसील चाकसू के खसरा नं. 778 रकबा 29.54 हैक्टेयर में से विद्यालय भवन हेतु 2000 वर्गमीटर व खेल के मैदान हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति–2015 में खैल के मैदान हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान वर्णित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्यालय भवन हेतु ग्राम चौसला तहसील चाकसू के खसरा नं. 778 में से 2000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि को नक्शे में प्रदर्शित कर आवंटन पत्र के साथ जारी किया जावे।
17.	14	130:17	प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय काठावाला, तहसील चाकसू जिला जयपुर को विद्यालय भवन व खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय काठावाला, तहसील चाकसू जिला जयपुर को ग्राम काठावाला तहसील चाकसू के खसरा नं. 300 रकबा 3.70 हैक्टेयर में से विद्यालय भवन हेतु 4000 वर्गमीटर व खेल के मैदान हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति–2015 में खैल के मैदान हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान वर्णित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्यालय भवन हेतु ग्राम काठावाला तहसील चाकसू के खसरा नं. 300 में से 4000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि को नक्शे में प्रदर्शित कर आवंटन पत्र के साथ जारी किया जावे।
18.	14	130:18	प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुरा, पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर को विद्यालय भवन व खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुरा, पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर को ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 220 रकबा 6.00 हैक्टेयर में से विद्यालय भवन हेतु 2000 वर्गमीटर व खेल के मैदान हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति–2015 में खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान वर्णित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्यालय भवन हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 220 में से 2000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निःशुल्क आवटन चाहे जाने पर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि को नक्शे में प्रदर्शित कर आवंटन पत्र के साथ जारी किया जावे।
19.	14	130:19	सरपंच, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा, पंचायत समिति सांगानेर को नवसृजित ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र व किसान सेवा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा, पंचायत समिति, सांगानेर जिला जयपुर को नवसृजित ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र एवं किसान सेवा केन्द्र हेतु ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 235 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के पंचायत भवन, अटल

अति० आयुक्त (...) ...विकास प्राधिकरण

				सेवा केन्द्र व किसान सेवा केन्द्र हेतु ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 235 में से 1000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

पूर्व में राजकीय विभागों को भूमि आवंटन के ऐसे प्रकरण जिन्हें निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है, किन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है या भिजवाया जाना प्रक्रियाधीन है एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 25.11.16 के अन्तर्गत आते हैं, उनमें समिति द्वारा विचार विमर्श कर निःशुल्क भूमि आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.11.16 में पीएचईडी व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इंफ्रास्ट्रेक्चर हेतु, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु, उप स्वास्थ्य भवन, पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी हेतु निर्धारित सीमा तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्राधिकरण का प्रत्यायोजित की गई है। जबकि विभिन्न विद्यालयों, पंचायत भवन, आंगनबाडी केन्द्र, पशु चिकित्सालय, किसान सेवा केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र आदि के लिये निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की जाती है। जिसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाकर स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, जिससे आवंटन की क्रियान्विति में अनावश्यक समय लगता है और राजकीय बजट लैप्स होने की भी संभावना रहती है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त प्रयोजनार्थ भी निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों से प्राप्त भूमि आवंटन के आवेदन पत्रों में भूमि चिन्हिकरण के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समस्त उपायुक्तों को निर्देशित किया कि वे एक सप्ताह में भूमि चिन्हिकरण कर प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को भिजवावें। अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित उपायुक्तों व विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक आहूत करे व समन्वय स्थापित कर आवंटन हेतु प्रस्ताव उपायुक्तों से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 130वीं बैठक दिनांक 12.01.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पुरूषोत्तम बियाणी, सचिव	सदस्य
3.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
4.	श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
7.	श्रीमती रजनी सी. सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2 व 7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री ज्ञानचन्द रैगर, उपायुक्त जोन–3	विशेष आमंत्रित
10.	श्री असलम शेर खान, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राधे प्रताप सिंह, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
12.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
13.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
15.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
16.	श्री राज कुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
17.	श्री मातादीन मीणा, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
18.	श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
19.	श्री करण सिंह गोठवाल, उपायुक्त पीआरएन (उत्तर)	विशेष आमंत्रित
20.	श्री ओम थानवी, तहसीलदार जोन–9	विशेष आमंत्रित
21.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित